रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012025-260566 CG-DL-E-28012025-260566

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]

No. 497]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2025/माघ 8, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2025/MAGHA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली. 21 जनवरी, 2025

का.आ. 501(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है. अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है. नामत:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को फ्लैशलाइट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान, तालिका के कॉलम (4) के तहत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर तालिका के कॉलम (5) के तहत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-॥ की स्कीम -1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा:

707 GI/2025 (1)

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथापरिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के अंतर्गत तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगेः

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी प्रति वर्ष फ्लैशलाइट के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से 50 संख्या तक आयातित सामान या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा, इस शर्त के अधीन कि ऐसे आयातित सामान और वस्तुएं वाणिज्यिक रूप से नहीं बेची जाएंगी और स्क्रैप के रूप में निपटाया जा सकता है तथा विनिर्माता माल या वस्तुओं का वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा चाहे तो उसे प्रस्तुत करेंगे।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो, उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- 4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

क्रम.सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से लागू करने की तारीख (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए लागू करने की तारीख	सूक्ष्म उद्यमों के लिए लागू करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	फ्लैशलाइट	2083:2024	फ्लैशलाइट - विनिर्देशन	क्यूसीओ के प्रकाशन की तारीख से 6 माह के बाद	क्यूसीओ के प्रकाशन की तारीख से 9 माह के बाद	क्यूसीओ के प्रकाशन की तारीख से 12 माह के बाद

नोट- इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण ,जैसा कि भारतीय मानक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

> [फा. सं. पी-29026/6/2024– एलईआई] संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 21st January, 2025

- **S.O. 501(E).** In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely: -
- 1. Short title and commencement. (1) This order may be called Flashlight (Quality Control) Order, 2025.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Compulsory use of Standard Mark**. Goods or articles specified in column (2) of the Table shall confirm to the corresponding Indian Standard mentioned under column (3) from the date specified in the corresponding entry under column (4) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 from the date specified in the corresponding entry under column (5) of the Table:

Provided that micro enterprises and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided further that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

Provided also that nothing in this order shall apply for fifty number of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of Flashlights per year with the condition that such imported goods or articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and the manufacturers shall maintain a year-wise record of the goods or articles and furnish the same, if so desired by the Central Government.

- **3. Certification and enforcement authority**. The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.
- **4. Penalty for contravention.** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

S. No.	Goods or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of implementation for Small Enterprises	Date of Implementation for Micro Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Flashlight	2083:2024	Flashlight - Specification	6 months from the date of publication of QCO	9 months from the date of publication of QCO	from the date

Note.- For the purposes of this Table, the latest version for Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/6/2024-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.